न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 174/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा

दायरा दिनांक 21.12.2020

किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

जमनालाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी पाली तहसील मांगरोल जिला बांरा (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अजीत जेन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्दीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण सं. 04/2020 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जमनालाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 31.8.2020 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा प्रकरण संख्या 169/2018 धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम पाली तहसील मांगरोल की आराजी भूमि नम्बर 69, 70 रकबा 0.40 है0 किस्म गै.मु.खाल पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 31.1.2018 को 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 480/–रूपये तावान से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.8.2020 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.8.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया ना ही स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर अपील को खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है तथा तावान राशि भी जमा करादी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया ना ही स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर अपील को खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे अपीलार्थी के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। उक्त आराजी से अपीलार्थी को पूर्व मे अतिचार करने पर मिसल नम्बर 123/14 निर्णय दिनांक 2.3.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरकारी भूमि किस्म गै.मु. खाल है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है, क्योंकि पूर्व मे अपीलार्थी को मिसल नम्बर 123/14 निर्णय दिनांक 2.3.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिनांक 31.1.2018 को निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क कि "परीक्षण न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया ना ही स्वतंत्र साक्ष्य ली गयी।" पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/तथ्यों के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे परीक्षण न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट साहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा मिसल संख्या 04/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा